

प्रारूप—एक  
(नियम 11 देखियें)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा  
अधिसूचना

क. 1494 / भू अर्जन / 2022 कोरबा

भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित  
नियम 7 के अंतर्गत

दिनांक 04/02/2022

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	जैंजरा	2.099 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28/02/22 को समय 12:00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन जैंजरा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है—

- |   |  |
|---|--|
| 1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण   | : रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु  |
| 2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या   | : 25 परिवार  |
| 3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या  | : 25 परिवार  |
| 4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या             | : निरंक  |
| 5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या           | : निरंक  |
| 6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?   | : हाँ  |
| 7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?                            | : हाँ  |
| 8. परियोजना की कुल लागत   | : रु0 8340.45 लाख  |
| 9. परियोजना से होने वाले लाभ  | : रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी।                   |
| 10. प्रस्तावित समाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय | : प्रस्तावित समाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है। |
| 11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक   | : निरंक  |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उप संभाग क्र. 2  
कटघोरा, जिला—कोरबा (छ.ग.)

*[Signature]*  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
कटघोरा

कार्यालय अधिकारी,  
जल संसाधन संभाग कोरबा,  
जिला — कोरबा (छ.ग.)

*[Signature]*  
(राम साहू)  
कलेक्टर  
जिला— कोरबा  
एवं पदेन उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग